**संख्या-99/2026/1676/नौ-5-2026/001-Com.No-1420471**

**प्रेषक,**

**देवेश मिश्र,**
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

**सेवा में,**

(1) राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-2.0 (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।

(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2026

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-पी0एम0यू0/1251/498(2)/2025, दिनांक 27.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) के अन्तर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, शौचालय, आई०ई०सी० एवं सी०बी०, एस०डी० व के०एम० मद में भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि **रू0 33515.00 ( रुपये तीन अरब पैतीस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र )** निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से व्यय किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से की जायेगी।

(2) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) के संबंध में भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।

(4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट् आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च,2026 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2215021070505 (घरेलू शौचालयों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | 2215021070505<br>घरेलू शौचालयों का निर्माण<br>(के.60/रा.40-के.+रा.) | 35<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 12,48,33,000<br>( रुपये बारह करोड़ अड़तालीस लाख तैंतीस हजार मात्र ) |
| | कुल | | | **12,48,33,000**<br>**( रुपये बारह करोड़ अड़तालीस लाख तैंतीस हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2215021070509 (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (के.25/रा.16/ला.59 - के.+रा.) )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | 2215021070509<br>10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (के.25/रा.16/ला.59 - के.+रा.) | 35<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 64,80,00,000<br>( रुपये चौंसठ करोड़ अस्सी लाख मात्र ) |
| | कुल | | | **64,80,00,000**<br>**( रुपये चौंसठ करोड़ अस्सी लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2215021070512 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.50/रा.33/ला.17 - के.+रा.) )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | 2215021070512<br>01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य<br>(के.50/रा.33/ला.17 - के.+रा.) | 35<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 1,91,51,67,000<br>( रुपये एक अरब इक्यानबे करोड़ इक्यावन लाख सड़सठ हजार मात्र ) |
| | कुल | | | **1,91,51,67,000**<br>**( रुपये एक अरब इक्यानबे करोड़ इक्यावन लाख सड़सठ हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2215021070513 (कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.+रा.) )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | 2215021070513<br>कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य<br>(के.60/रा.40-के.+रा.) | 35<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 25,90,00,000<br>( रुपये पच्चीस करोड़ नब्बे लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **25,90,00,000<br>( रुपये पच्चीस करोड़ नब्बे लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2215021070514 (आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.+रा.) )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | 2215021070514<br>आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य<br>(के.60/रा.40-के.+रा.) | 35<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 40,45,00,000<br>( रुपये चालीस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **40,45,00,000<br>( रुपये चालीस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | **3,35,15,00,000<br>( रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र )** |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-16-X-2026-27-दिनांक: 30-04-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-99/2026/1676(1)/नौ-5-2026/001-Com.No-1420471, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3-संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

4-निदेशक (एसबीएम 2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

6-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन,लखनऊ।

7-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।

8-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।

9-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

10-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

13-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

14-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

**(देवेश मिश्र)**

संयुक्त सचिव।